

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

प्रकरण संख्या - 128 / 2025 (प्रार्थना पत्र)

दायर दिनांक - 24/11/2025

निर्णय दिनांक - 24/11/2025

अनवान

1. पूरणमल पिता मीठालाल निवासी लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार देवगढ़ जिला राजसमन्द।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 का पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है कि राजस्व ग्राम कलालों की आंती पटवार मण्डल लसानी के खाता संख्या 309 में प्रार्थी की सहखातेदारी भूमि स्थित है। उक्त खाते में प्रार्थी का नाम पूरणमल पिता मांगीलाल दर्ज है जिसके स्थान पर प्रार्थी पूरणमल पिता मीठालाल शुद्धि कराए जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जांच हेतु तहसीलदार, देवगढ़ को अग्रेषित किया गया। तहसीलदार, देवगढ़ की जांच रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम कलालों की आंती पटवार मण्डल लसानी के खाता संख्या 309 में पूरणमल पुत्र मांगीलाल दर्ज रिकॉर्ड है। पटवार हल्का लसानी एवं भू-अभिलेख निरीक्षण एवं तहसीलदार देवगढ़ द्वारा राजस्व ग्राम कलालों की आंती पटवार मण्डल लसानी के खाता संख्या 309 में पूरणमल पुत्र मांगीलाल के बजाय पूरणमल पिता मीठालाल दर्ज जाने की अनुशंसा की गई।

--:आदेश:-

अतः धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए राजस्व ग्राम कलालों की आंती पटवार मण्डल लसानी के खाता संख्या 309 में पूरणमल पुत्र मांगीलाल के स्थान पर पूरणमल पिता मीठालाल नाम दुरस्ती किए जाने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। यदि कोई न्यायालय स्थगन या राजकीय हित प्रभावित होता है तो तदनुसार कार्यवाही की जावे, अन्यथा निर्णय अनुसार पालना की जावे। यदि रहन का अंकन है तो तदनुसार अंकित रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 24/11/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।



(मोहकमसिंह पित्तसिंहवार, P.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़
उपखण्ड राजसमन्द (राज.)
जिला राजसमन्द